



प्रेषक - नाम - अमरी

कक्षा - VIII

विद्यालय - के. जी. वी. वी

नगर - हसनपुर

जनपद - अमरौदा

(उ. प्र.)

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय - "बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता क्यों है, और इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए।"

महोदय

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि बाल विवाह को रोकने की अति आवश्यकता है क्योंकि इससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है उनकी पढ़ाई रुक जाती है उनमें परिवार को चलाने की समझ विकसित नहीं हो पाती। उनमें तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं।

अतः बाल विवाह को रोकने के लिए आपसे अनुरोध है कि कड़े से कड़े नियम बनाये जाये तथा अधिकारिणी द्वारा इन कानूनों का कड़ा से पालन कराये जाये और विद्यालयों के माध्यम से बच्चों व समाज को जागरूक किया जाये।

विवाह शुन्यकरण के लिए पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दी जायेगी बाल विवाह से पैदा हुई सन्तानें जायाग्रा होती हैं बाल विवाह अगर ही राया है तो भी उसे शुन्यकरण या खत्म कराया जा सकता है। भारत में बाल विवाह धार्मिक परम्पराओं सामाजिक मान्यताओं आर्थिक कारणों और अंध विश्वास कि बलह से एक बहुत ही जाहिल ही जाहिल समस्या है।

प्रापनी => अमरी (दिनांक => 10/05/2018)